प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 10.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 10.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।**
- **महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किया जागरुक।**

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलमंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 10.07.2025 को मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना खन्ना एवं खरेला की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूलो/कॉलेजो, गांवों/कस्बो, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओँ (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया।

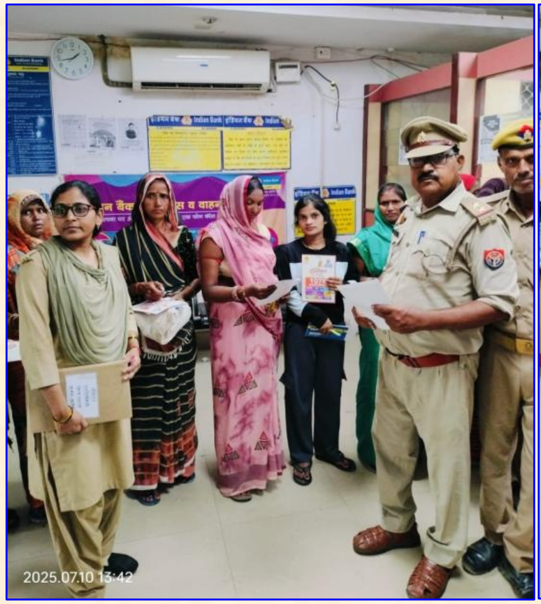

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 10.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा मय हमराह कां0 सुभम कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त दिलीप यादव पुत्र मान सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम पिडारी थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 1814/2021 धारा 323/504 भादवि0 व एनसीआर नं0. 07/2021 थाना कबरई महोबा में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम पिडारी थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा
2. कां0 सुभम कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त –

दिलीप यादव पुत्र मान सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम पिडारी थाना कबरई जनपद महोबा

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 10.07.2025

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक- 09.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित व0उ0नि0 मलखान सिंह मय हमराह कां0 कुँवर पाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 194/2025 धारा 74/351(3)/352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र श्री हरी राम प्रजापति उम्र कतरीब 22 वर्ष निवासी ग्राम उटिया थाना कबरई जनपद महोबा को धरौन रोड ग्राम उटिया थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

01. व0उ0नि0 मलखान सिंह
02. कां0 कुँवर पाल

गिरफ्तार अभियुक्त-

पुष्पेन्द्र पुत्र श्री हरी राम प्रजापति उम्र कतरीब 22 वर्ष निवासी ग्राम उटिया थाना कबरई जनपद महोबा।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित उ0नि0 अंकित कुमार यादव मय हमराह हे0कां0 राजेन्द्र प्रसाद, कां0 धर्मेन्द्र कुमार, कां0 राहुल अग्निहोत्री के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त गितेश तिवारी पुत्र अशोक कुमार उम्र करीब 33 वर्ष निवासी मु0 शेखूनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा व मूल निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद करते हुए ग्राम गंज थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 195/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अंकित कुमार यादव
2. हे0कां0 राजेन्द्र प्रसाद 3. कां0 धर्मेन्द्र कुमार 4. कां0 राहुल अग्निहोत्री

गिरफ्तार अभियुक्त-

गितेश तिवारी पुत्र अशोक कुमार उम्र करीब 33 वर्ष निवासी मु0 शेखूनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा व मूल निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा।

बरामद सम्पत्तिः-

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद होना।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस पेंशनर्स के साथ त्रैमासिक गोष्ठी कर उनकी समस्याओं एवं सुक्षावों को सुना गया, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक- 10.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन महोबा में पुलिस पेंशनर्स के साथ त्रैमासिक गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी में पुलिस पेंशनर्शों से उनकी शिकायतों और सुझावों को सुना गया। इस दौरान पेंशनर्स की समस्याओं को समझते हुए आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों और विधिक सहायता के संबंध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस गोष्ठी का उद्देश्य पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाना था। अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने पेंशनर्स की बात सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया।

इस अवसर पर पेंशनर्स ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे, जिन पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस गोष्ठी के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स को अपनी समस्याएं रखने और उनके समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया गया।

महोबा पुलिस

!! मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत "परिवार परामर्श केन्द्र" कमेटी के सदस्यों ने 01 परिवारों को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां- !!

- आज दिनांक 10.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में "परिवार परामर्श केन्द्र" कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के 06 ऐसे जोड़े जिनके बीच पारस्परिक परिवारिक विवाद चल रहा था, उनकी काउंसिलिंग की गयी एवं उनके मध्य संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के निदान हेतु काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी का 01 जोड़ा आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हुए हैं, शेष को अगली तिथि में बुलाया गया है, जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।
- परिवार परामर्श के दौरान उ0नि0 गयास अहमद, म0का0 रेखा देवी, म0का0 अनुप्रिया सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर क्रमशः श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री रामजी गुप्ता, श्री मोहम्मद हनीफ, श्रीमती डॉ विभा पुरवार, श्रीमती नीतू पालीवाल, श्रीमती अंशू शिवहरे आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय ने दोषसिद्ध घोषित करते हुए 02 वर्ष का कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे.एम कोर्ट चरखारी महोबा द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 02 वर्ष का साधारण कारावास व 2000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना चरखारी में पंजीकृत मु0अ0सं0 526/2006 धारा-332/353 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त मईयादीन पुत्र मथुरा लोधी निवासी ग्राम सिजौरा थाना चरखारी जनपद महोबा को 02 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 2000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

आ0. मिथलेश कुमार
पैरोकार थाना चरखारी महोबा